

दिनांक 29.12.2020

प्रार्थी/अभिभाषक श्री हंसराज यादव द्वारा अन्तर्गत धारा 183 व 188 राज. अधिनियम Act. 1955 राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया है। जिस पर राजस्व लिपिक द्वारा जॉच रिपोर्ट ली जाकर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से सशुल्क तलवाना नोटिस अन्दर सात दिवस में पेश करें, अदम अनुपालना आदेश (प्रार्थी द्वारा रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से सशुल्क तलवाना पेश नही करने के संबंध में विधिपूर्वक समुचित कारण सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं तत्पश्चात् पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुज्ञेय अवधि हेतु शिथिलता दिये जाने की अवधि को छोड़ते हुये) दर्ज प्रार्थना पत्र काबिले खारिज होगा। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए. डी. डाक से सशुल्क तलवाना नोटिस जारी होकर पत्रावली अज अदालतेमाल के समक्ष वकालतान्/असालतन पक्ष रखने हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 19.01.2021 को पेश हो।

Not process
ERADY

२५६-

19/1/2021

पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित।
वादी अधिवक्ता नेगेटिव नोट (Not process)
का निवेदन किया जिसे स्वीकार किया गया।
सतः वादी के वाद को नोट प्रोस होने के
कारण खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल नम्बर होकर नम्बर से
रुम हो जिला लेख अफसर में शामिल हो।



२५६-

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (अलवर) राज०